प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
————————. जिला ————————।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ....गुड़ा.................. की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या ....201.............. में –

मुझ प्रार्थी का नाम सोमा दर्ज है, किंतु मेरा सही नाम सोमेश्वर है एवं मेरे जन-आधार कार्ड, बैंक डायरी, आधार-कार्ड, राशन-कार्ड में भी मेरा सही नाम सोमेश्वर ही दर्ज है। मेरा नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम सोमा होने से उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज हो गया। खाते में नाम मेरे वास्तविक नाम का विकृत या अपभ्रंश है। अतः श्रीमान राजस्व खाते में मेरा नाम सोमा के बजाय सोमेश्वर दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
सोमेश्वर
....

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पूर्णतया जाँच कर ली गयी है। प्रार्थी सोमेश्वर की ~~ग्राम~~ ग्राम गुडा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 की खाता संख्या 201 में ~~का~~ नाम सोमा ~~का~~ दर्ज है जबकि उनके आधारकार्ड, जन आधार, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड आदि में नाम सोमेश्वर पिता सेंगा दर्ज है आम बोलचाल मे भी इनको सोमा के बजाय सोमेश्वर के नाम से ही जानते है तथा बच्चो के रेकार्ड में भी इनका नाम सोमेश्वर ही दर्ज है। ग्राम पंचायत गुडा का प्रमाणीकरण एवं प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर ग्राम गुडा की जमाबन्दी संवंत 2075-2078 में दर्ज नाम सोमा ~~पिता~~ पुत्र सींगा के स्थान पर सोमेश्वर ~~पिता~~ पुत्र सेंगा दर्ज किया जाना उचित है खाते में दर्ज नाम सोमा विकृत रूप है जिसके स्थान पर शुद्ध प्रविष्ठी सोमेश्वर किया जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) I.L.R पटवारी

(मुहर) पटवारी ... 16/11/21

रिपोर्ट तहसीलदार, ——————

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायत गुडा का एक ही नाम का प्रमाणपत्र तथा पटवारी हल्का तथा भू. अ. नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी सोमा की ~~शुद्ध~~ शुद्ध प्रविष्ठि सोमेश्वर पिता सींगा ~~खाता~~ ग्राम गुडा की खाता संख्या 201 मे दर्ज करना उचित है।

(हस्ताक्षर) 16.11.21

तहसीलदार, नयागांव जिला-उदयपुर (राज.)

<u>आदेश</u>

तहसीलदार नयागाँव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा के खाता सं० 201 में अंकित "सोमा ~~पिता~~ पुत्र सिंगा" के स्थान पर "सोमेश्वर ~~पिता~~ पुत्र सिंगा" के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत् तहसीलदार नयागाँव को लिखा जावें।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा.

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुडा

—:आदेश:—

प्रार्थी के ***"खाता दुरुस्ती"*** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुडा व भू.अ.नि. पाटिया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालीसर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुडा तहसील ख. नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या 201 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुडा	201	सोमा पुत्र सीगा	सोमेश्वर पुत्र सिंगा

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा.

दिनांक :– 16.11.2021.

कमांक :– राजस्व/2021/111

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ———————————————— को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा.